भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1161

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

1161. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और विकसित करने के लिए कोई विशेष पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में जनजातीय महिलाओं को 100 प्रतिशत स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए राजस्थान सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शहरी, ग्रामीण, जनजातीय/पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों, जिनमें राजस्थान का राजसमंद संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, में महिलाओं सहित सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता, वहनीयता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, एनएचएम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ करने हेतु नियमों में ढील दी गई है। उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्थापित करने के लिए जनसंख्या मानदंड को घटाकर क्रमशः 3,000, 20,000 और 80,000 कर दिया गया है। प्रति 1,000 जनसंख्या के बजाय प्रति बस्ती एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशाकर्मी) की अनुमति है और मैदानी जिलों में 2 की तुलना में, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिले अधिकतम 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की अनुमति है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) द्वारा 15 नवंबर, 2023 को शुरू किए गए प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत, विशेष रूप से अतिसंवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) क्षेत्रों के साथ प्रति जिले 10 एमएमयू तक एनएचएम मानदंडों में और छूट प्रदान की गई है। एमओटीए द्वारा निर्मित प्रत्येक बहुउद्देश्यीय केंद्र (एमपीसी) के लिए एक अतिरिक्त सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के मानदंडों में ढील दी गई है। एमएमयू पोर्टल के अनुसार, दिनांक 31.12.2025 तक, देश भर के जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु पीएम-जनमन के तहत 763 एमएमयू और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत 155 एमएमयू परिचालित हैं। दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, 178 आदिवासी जिलों में 30,817 एएएम परिचालित हैं।

सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत 'प्रजनन मातृ नवजात बाल किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण (आरएमएनसीएएच + एन)' रणनीति के माध्यम से राजस्थान सहित पूरे देश में जनजातीय महिलाओं के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है, जिसमें प्रसवपूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल और परिवार नियोजन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है; जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) जैसी योजनाओं के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना; जनजातीय लोगों की बस्तियों में आशाकर्मियों और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना और जांच करना शामिल है।

******